पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अनिल यादव

बनाम

बिहार राज्य

2016 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.394
8 मई, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अशुतोष कुमार एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार)

विचार के लिए मुद्दा

क्या धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषसिद्धि साक्ष्यों एवं गवाहों की विश्वसनीयता के आधार पर न्यायोचित थी?

हेडनोट्स

दो पहलू अब भी अस्पष्ट बने हुए हैं। जब घटना खेत में हुई जहाँ सभी गवाह और मृतक मौजूद थे, तो यह अजीब प्रतीत होता है कि सूचक और अन्य प्रत्यक्षदर्शी खेत से बाहर निकलकर घटना को देखते रहे, फिर भी हमलावरों ने उनका पीछा नहीं किया और न ही उन्हें किसी प्रकार की क्षति पहुँचाई। दूसरा पहलू यह है कि घटना खेत के बीच हुई, किंतु साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि एक मृतक नहर में गिरा और दूसरा मृतक नहर के पास पाया गया। – घटनास्थल को लेकर कुछ अनिश्चितता प्रतीत होती है, विशेषकर इस तथ्य को देखते हुए कि अन्वेषण अधिकारी ने घटनास्थल से कोई रक्तरंजित मिट्टी अथवा अन्य आपराधिक सामग्री जब्त नहीं की। दोनों अन्वेषण अधिकारियों के प्रतिपरीक्षण से भी यह नहीं पता चलता कि उन्होंने एफ.आई.आर. दर्ज होने के तुरंत बाद घटनास्थल का निरीक्षण किया हो। – फिर भी कोई विरोधाभास या असामान्यता प्रतीत नहीं होती। अपीलार्थी द्वारा एक मृतक को *प्वाइंट ब्लैंक रेंज* से गोली मारने का स्पष्ट साक्ष्य उपलब्ध है। (पृष्ठ 9, 10, 12)

दिनदहाड़े दो व्यक्तियों की हत्या हुई, जो पूरी तरह निहत्थे थे। आरोप अत्यंत गंभीर है, परंतु यह मामला "रेयर ऑफ द रेयरेस्ट" की श्रेणी में नहीं आता। – आजीवन कारावास (शेष जीवन तक) इस मामले की परिस्थितियों में बिल्कुल अनुपयुक्त है। अभिलेखों से यह भी स्पष्ट

है कि अपीलार्थी लगभग 14 वर्ष जेल में बिता चुका है। अतः सजा घटाकर न्यूनतम 18 वर्ष का कारावास किया जाना न्यायसंगत होगा। – अपील खारिज की जाती है, किंतु दंडादेश संशोधित किया जाता है। (पृष्ठ 15, 16)

न्याय दृष्टान्त

यूनियन ऑफ इंडिया बनाम वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन एवं अन्य, **(2016) 7 एससीसी 1**; स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य, **(2008) 13 एससीसी 767**

अधिनियमों की सूची

भारतीय दंड संहिता, 1860 – धारा 147, 148, 149, 447, 302; शस्त्र अधिनियम, 1959 – धारा 27

मुख्य शब्दों की सूची

हत्या; आजीवन कारावास; दुर्लभतम में दुर्लभ सिद्धांत; दंडादेश का अधिकार; प्रत्यक्षदर्शी गवाही; संपत्ति विवाद; रियायत अपीलीय संशोधन

प्रकरण से उत्पन्न

संग्रामपुर थाना कांड संख्या 34/2009, जिला मुंगेर।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थी की ओर से: श्री इंदु भूषण, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी राज्य की ओर से: श्री दिलीप कुमार सिन्हा, ए.पी.पी.

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2016 की आपराधिक अपील (खं.पी.) सं.394

थाना कांड सं.-34 वर्ष-2009 थाना-संग्रामपुर जिला-मुंगेर से उद्भूत

==========

अनिल यादव, पिता-चंद्र यादव, निवासी गांव-महेशपुर, थाना-संग्रामपुर, जिला-मुंगेर

... ...अपीलार्थी/ओं

बनाम

बिहार राज्य

... ... उत्तरदाता/ओं

==========

उपस्थितिः

अपीलार्थी/ओं के लिए : श्री इंदु भूषण, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए : श्री दिलीप कुमार सिन्हा, स.लो.अ.

==========

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री हरीश कुमार

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री आशुतोष कुमार)

तारीखः 08-05-2023

हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता और राज्य की ओर से श्री दिलीप कुमार सिन्हा को सुना है।

अपीलार्थी को भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया है और दिनांक 14.03.2016/29.03.2016 को विद्वान 5वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मुंगेर *द्वारा* संग्रामपुर थाना मामला सं. 34/2009 से उद्भूत सत्र परीक्षण सं. 615/2009 में पारित निर्णय और आदेश के अनुसार उसे शेष जीवन के लिए कारावास, 10,000 रुपये का जुर्माना भरने और जुर्माना न भरने पर एक महीने की अवधि के लिए अतिरिक्त सा.का. की सजा सुनाई गई है।

अपीलार्थी और एक संजय यादव पर क्रमशः चंदेश्वरी यादव और मलुकी यादव की हत्या करने का आरोप है। घटना की प्राथमिकी नरेश यादव (अ.सा. 6) द्वारा दर्ज कराई

गई है, जो मलूकी यादव (मृतक सं. 1) का दामाद और चंदेश्वरी यादव (मृतक सं. 2) का सह-भाई है।

उन्होंने दिनांक 03.04.2009 को दिन में लगभग 12:00 बजे अपने गाँव के घर पर दर्ज कराई गई अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि उनकी शादी मलूकी यादव (मृतक सं.1) की बड़ी बेटी से हुई थी। उपरोक्त मलूकी यादव की छोटी बेटी की शादी चंदेश्वरी यादव (मृतक सं.2) से हुई थी। मलूकी यादव को कोई पुरुष समस्या नहीं थी। मलूकी यादव की कृषि भूमि पर वह और चंदेश्वरी यादव खेती करते थे, जो मलूकी यादव के अन्य रिश्तेदारों जिनमें उनका भाई भी शामिल था, को पसंद नहीं था। उसी दिन यानी 03.04.2009 को सुबह लगभग 9.30 बजे, जब सूचक अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ खेत में गेहूँ की फसल काट रहे थे, तो अपीलकर्ता सहित कई अभियुक्तगण, विभिन्न हथियारों से लैस होकर वहाँ पहुँचे और मलूकी यादव को ज़मीन छोड़ने के लिए कहा। सुनील यादव नामक व्यक्ति ने मलूकी यादव को पकड़ लिया और रामभज्जू यादव ने चंदेश्वरी यादव को पकड़ लिया। चंदर यादव के आदेश पर, सह-अभियुक्त संजय यादव ने अपने हथियार से दो बार गोली चलाई जो मलूकी यादव के सीने में लगी, जिससे वह खेत के दूसरे छोर पर नहर के पास गिर गया। बताया जाता है कि अपीलकर्ता/अनिल यादव ने चंदेश्वरी यादव पर दो बार गोली चलाई जो उसकी पीठ और कमर में लगी, और वह भी नहर तक चला गया और उसके बाद उसकी मौत हो गई। उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को मृत देखकर, अभियुक्तगण घटनास्थल से भाग गए। घटना के दौरान, सूचना देने वाला और अन्य लोग खेत के पास छिप गए और घटना को देखा।

उपर्युक्त *फर्दबयान* के आधार पर, संग्रामपुर थाना मामला सं. 34/2009 दिनांक 03.04.2009 को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 447 और 302 तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत अपराधों की जाँच हेतु पंजीकृत किया गया था।

पुलिस ने जाँच के बाद अपीलकर्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र प्रस्तुत किया, जिस

पर संज्ञान लिया गया और मामला सत्र न्यायालय को विचारण हेतु सौंप दिया गया।

विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाहों और बचाव पक्ष की ओर से किसी गवाह की गवाही न मिलने के बाद अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और पूर्वोक्त सजा सुनाई।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रथम पक्ष में यह तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ता को शेष आजीवन कारावास की सजा सुनाकर गंभीर त्रुटि की है, जो किसी भी सत्र न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने दलील दी है कि ***भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन उर्फ मुरुगन एवं अन्य (2016) 7 एससीसी 1*** मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने ***स्वामी श्रद्धानंद बनाम कर्नाटक राज्य (2008) 13 एससीसी 767*** के फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें अभियुक्त को गंभीर और संगीन अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर जिसके साथ मृत्युदंड का विकल्प होता है, लेकिन इस तरह की सजा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा केवल संवैधानिक न्यायालयों के रूप में दी जा सकती है। विचारण न्यायालय को मौत की सजा के विकल्प के रूप में दोषी के शेष जीवन के लिए किसी भी संशोधित या विशिष्ट अवधि की सजा या आजीवन कारावास की सजा देने से रोक दिया गया है।

इसके अलावा, यह दलील दिया गया है कि मुकदमे के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत अपीलार्थी को दोषी ठहराने के लिए एक स्पष्ट मामला नहीं बनाते हैं क्योंकि सभी गवाह दोनों मृतक से संबंधित हैं और उनके पास अपीलार्थी को गलत तरीके से फंसाने के लिए निश्चित कारण हैं।

विचारण न्यायालय के फैसले पर इस आधार पर भी सवाल उठाया गया है कि विचारण न्यायालय ने अपने दिमाग को उचित रूप से लागू नहीं किया क्योंकि मुकदमे के दौरान अस्वीकार्य साक्ष्य को भी ध्यान में रखा गया था और अपीलार्थी को दोषी ठहराने और सजा देने के लिए उस पर भरोसा किया गया था।

अपीलार्थी की ओर से आग्रह किए गए साक्ष्य की सराहना करने के सभी स्वीकृत नियमों को हवा में फेंक दिया गया है और अभियोजन पक्ष के गवाहों की तथाकथित "*निरंतरता*" पर ही अपराध का निर्णय लिया गया है।

उपर्युक्त दलीलों के विपरीत, राज्य ने तर्क दिया है कि घटना के चश्मदीद गवाहों को प्रति-परीक्षण के दौरान बदनाम नहीं किया गया है, जिनमें से सभी ने अपीलार्थी के खिलाफ गोलीबारी का आरोप लगाया है, जिसमें मृतक में से एक की मौत हो गई है अर्थात चंदेश्वरी यादव (मृतक सं.2)।

सभी गवाहों की चश्मदीद गवाही की पुष्टि चिकित्सा साक्ष्य द्वारा की गई है। जिस डॉक्टर ने चंदेश्वरी यादव (मृतक सं. 2) का शव-परीक्षण किया था, जिस पर अपीलकर्ता द्वारा कथित तौर पर गोली चलाने का आरोप है, उसे एक गोली लगी है; एक घाव प्रवेश का और दूसरा निकास का है और दोनों घाव एक-दूसरे से जुड़े हुए पाए गए।

पक्षों की ओर से दलीलों की सराहना करने के लिए, हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान की बहुत विस्तार से जांच की है।

अंजू देवी उर्फ मंजू देवी (अ.सा. 1), जो नरेश यादव (अ.सा. 6) की पत्नी हैं, ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि वह अन्य लोगों और मृतक व्यक्तियों के साथ खेत में काम कर रही थीं, जब अपीलकर्ता और अन्य लोग आए और गाली-गलौज करने लगे। मलूकी यादव (मृतक सं. 1) को अभियुक्तों ने कहा कि उन्हें संबंधित भूमि पर अपना दावा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनका कोई पुरुष वंशज नहीं है। अ.सा.1 और अन्य लोग खेत से बाहर आए। आरोप है कि तभी दोनों मृतकों को पकड़ लिया गया और अपीलकर्ता ने चंदेश्वरी यादव (मृतक सं. 2) पर गोली चला दी, जबकि संजय यादव नामक व्यक्ति ने उसके पिता मलूकी यादव (मृतक सं. 1) पर गोली चलाई, जिससे दोनों की मृत्यु हो गई। अपीलकर्ता अ.सा.1 का चाचा है। उसने अपनी प्रति-परीक्षण में स्वीकार किया है कि उसके पिता/मलूकी यादव (मृतक सं. 1) और चंदर यादव मुकदमेबाजी करते थे और लगभग 20 साल पहले, उनके

बीच एक ज़मीन-जायदाद का मुकदमा लड़ा गया था। उसे इस मुकदमे के परिणाम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

इसी प्रकार, मंटू कुमार यादव और गुरिया कुमारी (अ.सा. 2 और 4) क्रमशः सूचक (अ.सा. 6) और अंजू देवी (अ.सा. 1) की संतान हैं। दोनों ने अभियोजन पक्ष के कथन का काफी हद तक समर्थन किया है।

मृतक सं. 2/चंदेश्वरी यादव (अ.सा. 3) की पत्नी ने भी अभियोजन पक्ष के कथन का समर्थन किया है। मुकदमे में उनकी विश्वसनीयता पर तब भी सवाल नहीं उठाया जा सका जब उनसे गहन प्रश्न पूछे गए।

डॉ. राम प्रवेश प्रसाद (अ.सा. 5) ने दोनों मृतकों का शव परीक्षण किया। अपीलार्थी द्वारा कथित रूप से मारे गए मृतक के संबंध में, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रवेश और निकास के घाव को दर्शाने वाली दो संचारित चोटें प्राप्त हुई थीं। घाव उल्टे थे, जिससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि गोली नजदीक से चलाई गई थी।

जनक किशोर सिंह (अ.सा. 7), जो मामले के प्रथम अनु. ओ. हैं, ने प्रति-परीक्षण में कहा कि उन्होंने दो गवाहों का बयान दर्ज किया था कि चंदर यादव का कृषि क्षेत्र, जिसे मृतक संख्या 1/मलूकी यादव द्वारा बोने का प्रयास किया गया था और यही पक्षों के बीच लड़ाई का कारण था।

हालांकि, दूसरे आई. ओ. रंजीत कुमार (अ.सा. 8) ने इस तरह का कुछ नहीं कहा है। उन्होंने विचारण न्यायालय के समक्ष गवाही दी है कि उन्होंने कभी भी इस बात की जांच नहीं की कि घटना के समय वह खेत किसका था जिसमें खड़ी फसल काटी जा रही थी। किसने फसलें बोई थीं और कौन इसे अनधिकृत रूप से काटने का प्रयास कर रहा था, इसकी उनके द्वारा जांच नहीं की गई थी। उन्होंने घटना स्थल पर किसी भी गवाह का बयान नहीं लिया क्योंकि जब उन्होंने घटना स्थल का दौरा किया था तो वहां कोई शव मौजूद नहीं था।

गवाहों के बयान के अवलोकन पर, दो पहलू अस्पष्ट हैं।

जब खेत में घटना घटी थी जहाँ सभी गवाह और मृतक मौजूद थे, तो यह अजीब लगता है कि सूचना देने वाला और अन्य चश्मदीद गवाह खेत से बाहर आकर इंतज़ार करते रहे, घटना के गवाह बने और फिर भी लुटेरों ने उनका पीछा नहीं किया और न ही उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुँचाया। हमारे अनुमान में, दूसरा अजीब पहलू यह है कि जब घटना खेत के बीचों-बीच हुई थी, लेकिन सबूत बताते हैं कि मृतकों में से एक नहर में गिर गया, जबकि दूसरा नहर के पास पाया गया। क्या उन्होंने हमलावरों को देखकर भागने की कोशिश की और उन्हें पीछे से गोली मार दी गई या वे घायल हो गए और खेत से बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया लेकिन नहर के पास गिर गए?

मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, घटना के स्थान पर कुछ अनिश्चितता प्रतीत होती है, विशेष रूप से अनु. अ. द्वारा घटना के स्थान पर किसी भी रक्त दाग वाली मिट्टी या किसी भी आपत्तिजनक सामग्री को जब्त न करने के कारण। दोनों अनु. अ. की प्रति-परीक्षा से यह भी संकेत नहीं मिलता है कि वे प्राथमिकी दर्ज होने के तुरंत बाद घटना के स्थान पर गए थे।

लेकिन फिर भी, केवल इसी कारण से, गवाहों को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है।

हमने इस तथ्य पर अपनी चिंता व्यक्त की है कि अ.सा. 6, जो मृतक में से एक का दामाद और दूसरे का सह-भाई है, मैदान से बाहर आया और इस तरह हमलावरों की गोलीबारी की सीमा से बाहर आया, अपने ससुर और सह-भाई को खुद के बचाव के लिए छोड़ दिया।

यह आचरण स्वाभाविक नहीं लगता है, लेकिन अगर खुद को मारे जाने से बचाने के प्रयास के संदर्भ में देखा जाए, तो आचरण स्पष्ट हो जाता है। यह संभव हो सकता है कि अपीलकर्ता समेत हमलावरों की दुश्मनी केवल मलूकी यादव (मृतक संख्या 1) से थी, न कि चंदेश्वरी यादव (मृतक संख्या 2) या अभियोक्ता 6 से। अगर ज़मीन अभियुक्तों के पक्ष

में छोड़नी ही थी, तो मलूकी यादव (मृतक संख्या 1) को ही फ़ैसला लेना था, दूसरों को नहीं। शायद यही कारण हो सकता है कि मृतक के परिवार के अन्य सदस्यों को छोड़ दिया गया, लेकिन दुर्भाग्य से चूँकि चंदेश्वरी यादव (मृतक संख्या 2) खेत से बाहर नहीं आ सके, इसलिए ऐसा लगता है कि उनकी भी हत्या कर दी गई।

अभियोजन पक्ष के सभी गवाहों के साक्ष्य से कुछ भी विरोधाभासी या असामान्य नहीं लगता है। इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैं कि अपीलकर्ता ने मृतक व्यक्तियों में से एक को बहुत नजदीक से मारा था।

उस हद तक, विचारण न्यायालय के निष्कर्षों में अपीलार्थी को मृतक चंदेश्वरी यादव (मृतक सं.2) किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उसे उन्हें भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया जाना सही है।

लेकिन विचारण न्यायालय ने गलत तरीके से उसे शेष जीवन के लिए सजा सुनाई है।

भारत संघ बनाम वी. श्रीहरन (उपरोक्त) में संवैधानिक पीठ के समक्ष उठाए गए दो प्रश्न थे; (1) क्या आजीवन कारावास का अर्थ है किसी व्यक्ति के शेष जीवन के साथ छूट का दावा करने का अधिकार; (2) क्या ***स्वामी श्रद्धानंद*** (उपरोक्त) के मामले में मृत्युदंड के बजाय 14 वर्ष से अधिक अवधि के लिए सजा की एक विशेष श्रेणी लगाई जा सकती है और उस श्रेणी को छूट के आवेदन से परे रखा जा सकता है?

सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों पर विचार करने के बाद, पीठ ने निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला:

> "105. इसलिए, हम दोहराते हैं कि ऐसे निर्दिष्ट अपराधों के लिए दंड संहिता में प्रदान की गई सजा के भीतर किसी भी संशोधित दंड के लिए दंड संहिता से प्राप्त शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है और आगे अपील की स्थिति में केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा

ही किया जा सकता है, इस देश के किसी अन्य न्यायालय द्वारा नहीं। दूसरे शब्दों में, मृत्युदंड के विकल्प के रूप में किसी विशिष्ट अवधि के कारावास या दोषी के जीवन के अंत तक की सजा प्रदान करने वाली संशोधित सजा लगाने की शक्ति का प्रयोग केवल उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है, किसी अन्य अवर न्यायालय द्वारा नहीं।

(जोर दिया गया)

106. इस संदर्भ में, हम कहते हैं कि *स्वामी श्रद्धानंद* (2)[4] में निर्धारित यह अनुपात कि एक विशेष श्रेणी की सजा; मृत्युदंड के बजाय; 14 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कारावास की सजा और उस श्रेणी को छूट के आवेदन से परे रखना अच्छी तरह से स्थापित है और हम उक्त प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में देते हैं। इसलिए, हम इस न्यायालय द्वारा *संगीत बनाम हरियाणा राज्य*[49] में व्यक्त की गई राय से सहमत नहीं हैं कि 20 या 25 वर्ष की सजा या बिना किसी छूट के अनुमति न देकर उपयुक्त सरकार की छूट शक्ति से वंचित करना कानून के अनुरूप नहीं है और हम इसे विशेष रूप से खारिज करते हैं।"

इसलिए, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को शेष जीवन के लिए कारावास की सजा देने में त्रुटि की है, जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

ऐसा करने से पहले, हमारे लिए यह इंगित करना आवश्यक है कि विचारण न्यायालय ऐसी परिस्थितियों में, अपीलार्थी के खिलाफ सामग्री का आकलन करने के लिए बाध्य थी, जिसमें राज्य का प्रयास उन सामग्रियों की आपूर्ति करने के लिए आगे आना चाहिए था ताकि "उग्र और कम करने वाली" परिस्थितियों के बीच संतुलन बनाया जा सके।

ऐसा प्रतीत होता है कि विचारण न्यायालय ने मामले में केवल गंभीर परिस्थितियों पर ही ध्यान दिया, किसी भी कम करने वाली परिस्थिति पर नहीं, सिवाय

इसके कि अपीलकर्ता परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था और उसे अपने वृद्ध माता-पिता की भी देखभाल करनी थी। जेल में उसका आचरण कैसा था और क्या उसने सुधार के कोई संकेत दिखाए, यह ज्ञात नहीं है और न ही विचारण न्यायालय ने इसे जानने का प्रयास किया।

हालाँकि, इस परिस्थिति को देखते हुए कि दो व्यक्तियों की दिन-दहाड़े हत्या कर दी गई थी, जो पूरी तरह से निहत्थे थे, आरोप बहुत गंभीर है लेकिन फिर भी यह "दुर्लभ से दुर्लभतम" मामले होने से काफी कम है।

यह असामान्य नहीं है कि संपत्ति के लिए किसी व्यक्ति की उसके रिश्तेदारों के हाथों हत्या कर दी जाए, लेकिन अपीलकर्ता, मृतक संख्या 1 का सीधा रिश्तेदार होने के नाते, बिना किसी उचित कारण के मृतक संख्या 2 की हत्या कर दी, जो उसका दामाद होने का रिश्ता था। ऐसा बहुत कम होता है कि परिवार के दामादों की हत्या कर दी जाए।

ऐसा प्रतीत होता है कि मृतक की हत्या के पीछे अपीलकर्ता की कोई पूर्व-योजना थी। और मृतक सं. 1 को संबंधित भूमि का नियंत्रण छोड़ने के लिए कहने का कारण यह था कि उसका कोई पुरुष वंशज नहीं था। इससे अधिक विकृत मानसिकता और क्या दर्शाई जा सकती है?

मृतक सं.1 की दो बेटियाँ और दो दामाद थे। मृतक सं.1 से सिर्फ़ इसलिए अपनी संपत्ति पर अपना दावा छोड़ने की अपेक्षा करना कि उसका कोई पुत्र नहीं है, एक सभ्य समाज के सिद्धांतों से परे है।

इस प्रकार पाप अक्षम्य है।

हालाँकि, हम पाते हैं कि इस मामले के तथ्यों में शेष जीवन के लिए कारावास बिल्कुल अनुचित है। अभिलेखों से आगे पता चलता है कि अपीलार्थी 08.04.2009 के बाद से जेल में है और इस प्रकार उसने लगभग 14 साल जेल में बिताए हैं।

उपर्युक्त परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि अपीलार्थी को दी गई सजा को

कम से कम 18 साल के कारावास तक कम किया जाना चाहिए जो न्याय के उद्देश्यों को पूरा करेगा।

इस प्रकार, अपील खारिज कर दी जाती है लेकिन सजा को ऊपर बताए गए हद तक संशोधित किया जाता है।

इस मामले के अभिलेखों को विचारण न्यायालय में प्रेषित किया जाए और निर्णय की एक प्रति अभिलेख और अनुपालन के लिए संबंधित जेल के अधीक्षक को भेजी जाए।

(आशुतोष कुमार, न्यायमूर्ति)

(हरीश कुमार, न्यायमूर्ति)

कृष्ण/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।